कोरोनियल जांच – परिवार और दोस्तों के लिए जानकारी

क्वींसलैंड का कोरोनर्स कोर्ट (सीसीक्यू) रिपोर्ट करने योग्य मृत्यु के प्रकरणों की स्वतंत्र रूप से जांच करता है।

हम समझते हैं कि यह समय परिवार के सदस्यों और मित्रों के लिए कष्टदायक और भारी हो सकता है। हम आपको हुई क्षति के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं।

हम आपको इस मार्गदर्शिका को पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने पास रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

हमारा लक्ष्य यथाशीघ्र जांच पूरी करना है, किंतु जांच की अवधि मामले की जटिलता सहित कई कारकों पर निर्भर करेगी।

जांच क्यों होती है?

कोरोनर्स एक्ट 2003 (कोरोनर्स एक्ट) के तहत कुछ मृत्यु के प्रकरणों की जांच के लिए क्वींसलैंड के कोरोनर के पास रिपोर्ट करना आवश्यक है (रिपोर्ट करने योग्य मृत्यु के प्रकरण)।

कोरोनियल जांच का उद्देश्य निम्नलिखित तथ्यों को स्थापित करना है:

- मृतक की पहचान
- उनकी मृत्यु कब और कहां हुई
- उनकी मृत्यु कैसे हुई, और
- मृत्यु का चिकित्सीय कारण।

कोरोनर दोष का निर्धारण या आपराधिक या नागरिक दायित्व का निर्धारण नहीं करता है। वे इस पर ध्यान केंद्रित करते है:

- मृत्यु से पहले की परिस्थितियों की जांच करना
- मृत्यु में योगदान देने वाली कोई भी विफलता
- क्या उस व्यक्ति की मृत्यु को रोका जा सकता था।

कोरोनर्स अधिनियम के तहत, कोरोनर को ऐसे किसी भी व्यक्ति या एजेंसी के साथ जांच करने और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, जो उनके विचार में जांच में सहायता दे सकती है।

रिपोर्ट करने योग्य मृत्यु के प्रकारों में निम्नलिखित शामिल हैं।

हिंसक या अप्राकृतिक मृत्यु

इन मृत्यु के प्रकरणों में शामिल हैं:

- मानव हत्या
- परिवहन दुर्घटना (जैसे, कार, हवाई, रेल, समुद्री)
- कार्यस्थल पर मृत्यु
- संदिग्ध आत्महत्या
- गिरना, डूबना, तत्वों के संपर्क में आना
- मादक-पदार्थ या शराब से विषाक्तता।

यदि घटना और मृत्यु के बीच देरी हुई है या ऐसा माना जाता है कि घटना का मृत्यु में योगदान है, तो इसके बावजूद भी इसकी जांच की जाना अनिवार्य है।

संदिग्ध मृत्यु

सामान्यतः यह तब होती है, जहां:

- आम तौर पर हत्या होने का संदेह है
- यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि मृत्यु में अन्य लोग भी शामिल थे या नहीं।

यदि मृत्यु से संबंधित आपराधिक अपराध के आरोप लगाए गए हैं, तो कोरोनियल जांच तब तक विलंबित हो सकती है जब तक कि उन कार्यवाही का समाधान न हो जाए।

स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित मृत्यु

किसी स्वास्थ्य देखभाल परिवेश में हुई मृत्यु स्वतः ही कोरोनर को रिपोर्ट किए जाने योग्य नहीं होती है। मृत्यु तब स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित होती है, जब:

- यह स्वास्थ्य देखभाल के अप्रत्याशित परिणामस्वरूप होती है
- यह उचित निदान और/या उपचार में विफलता या देरी के कारण होती है।

स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रियाओं में डेंटल, चिकित्सीय, सर्जिकल नैदानिक और अन्य प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं।

यदि आपको किसी मृतक को प्रदान की गई देखभाल के बारे में चिंता है, लेकिन देखभाल के कारण सीधे तौर पर मृत्यु नहीं हुई है, तो आप स्वास्थ्य लोकपाल कार्यालय से संपर्क कर सकते/ती हैं।

देखभाल में मृत्यु

विशिष्ट देखभाल परिवेशों में अतिसंवेदनशील लोगों की मृत्यु की रिपोर्ट की जाती है, भले ही व्यक्ति की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई हो। इसमें शामिल है:

- विकलांग लोग
- मानसिक बीमारी वाले लोग
- बाल सुरक्षा हस्तक्षेप के अधीन बच्चे।

इन मामलों में, यदि मृत्यु के कारण प्रदान की गई देखभाल के बारे में चिंता उत्पन्न होती है, तो जांच से न्यायिक जांच की जा

सकती है। और अधिक जानकारी देखभाल में मृत्यु शीर्षक के तथ्यपत्र में पाई जा सकती है:

https://www.coronerscourt.qld.gov.au/about-our-court/reportable-deaths

हिरासत में या पुलिस कार्रवाई के दौरान मृत्यु

मृत्यु के सभी प्रकरणों में एक कोरोनियल जांच की जाना अनिवार्य है - यहां तक कि प्राकृतिक कारणों से हुई मृत्यु के प्रकरणों में भी - यदि ऐसा हुआ हो:

- पुलिस या सुधारात्मक हिरासत में रहने के दौरान
- आव्रजन हिरासत में रहने के दौरान
- हिरासत से भागने की कोशिश करने के दौरान।

यदि किसी व्यक्ति की पुलिस कार्रवाई के दौरान मृत्यु हो जाती है, जैसे पुलिस की मौजूदगी में आत्महत्या, तो कोरोनर यह निर्धारित करेगा कि जांच की आवश्यकता है या नहीं।

मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया

यदि किसी डॉक्टर द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है, तो मृत्यु की सूचना हमें दी जानी चाहिए। यदि समीक्षा के बाद, डॉक्टर मृत्यु का कारण बता पाते हैं, तो हम यह निर्धारित करेंगे कि मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना उचित है या नहीं।

संदिग्ध मृत्यु (लापता व्यक्ति)

गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट आमतौर पर परिवार या दोस्तों द्वारा पुलिस के पास दर्ज कराई जाती है। यदि पुलिस के पास यह मानने का कारण है कि व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो उनके लिए हमें संदिग्ध मृत्यु की सूचना देना अनिवार्य है, ताकि जांच की जा सके।

जांच में कौन शामिल होता है?

क्वींसलैंड का कोरोनर्स कोर्ट

हम मृत्यु के तथ्यों को स्थापित करने के लिए अपनी साझेदार एजेंसियों, पुलिस और स्वास्थ्य के साथ मिलकर जांच का नेतृत्व करते हैं।

हमारे पास रिपोर्ट किए गए मृत्यु के कुछ प्रकरणों की प्रारंभिक समीक्षा कोरोनियल रजिस्ट्रार द्वारा की जाती है, जैसे कि:

- प्राकृतिक कारणों से हुई मृत्यु की रिपोर्ट पुलिस द्वारा दी गई है
- चिकित्सीय पेशेवर इस बारे में सलाह लेते हैं कि क्या मृत्यु का प्रकरण रिपोर्ट करने योग्य है।

कुछ मामलों में, आगे की जांच के लिए इन्हें कोरोनर के पास भेजा जा सकता है।

क्वींसलैंड पुलिस सेवा

हिंसक और अप्राकृतिक मृत्यु के अधिकांश प्रकरणों के मामले में पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। उपस्थित पुलिस अधिकारी:

- कोरोनर को प्रारंभिक रिपोर्ट देंगे
- यदि आवश्यक हो, तो मृतक की पहचान स्थापित करने में सहायता करेंगे
- मृतक को शवगृह ले जाने की प्रारंभिक व्यवस्था करेंगे
- संपत्ति की वापसी के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे

क्वींसलैंड पुलिस कोरोनियल सहायता इकाई के पुलिस अधिकारी कोरोनर की सहायता और समर्थन करेंगे।

फोरेंसिक पैथोलॉजी और कोरोनियल सर्विसेज़ (एफपीएसीएस)

फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट, फोरेंसिक नर्स और परामर्शदाता और अन्य विशेषज्ञ कोरोनियल सेवा प्रदान करने के लिए हमारे और पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते हैं।

एफपीएसीएस मृत्यु का कारण निर्धारित करने में सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की चिकित्सीय जांच उपलब्ध कराती है, जिनमें शामिल हैं:

- गैर-आक्रामक प्रारंभिक परीक्षाएं
  - शरीर की बाहरी जांच
  - चिकित्सा रिकॉर्ड की समीक्षा
  - रक्त और मूत्र के नमूनों का संग्रह
  - संपूर्ण शरीर का सीटी स्कैन
- आंशिक या पूर्ण आंतरिक शव परीक्षण सहित अधिक आक्रामक परीक्षण, जिसके परिणामस्वरूप विशेषज्ञ परीक्षण के लिए अंग को रोके रखना पड़ सकता है।

  कोरोनर को व्यापक जांच या अंग प्रतिधारण का आदेश देने से पहले परिवार की आपत्तियों पर विचार करना अनिवार्य होगा।
- विष विज्ञान
- शरीरकोष विज्ञान
- फोरेंसिक दंत चिकित्सा
- तंत्रिकाविकृति विज्ञान

कोरोनर द्वारा आदेशित चिकित्सीय परीक्षण के प्रकार के आधार पर फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट तैयार होने में कई महीने लग सकते हैं।

मृत व्यक्ति के साथ हर समय सम्मानपूर्ण और गरिमामय व्यवहार किया जाता है।

कोरोनियल फैमिली सर्विसेज़ (सीएफएस)

सीएफएस कोरोनियल जांच के तहत मृत्यु से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करती है। वे कोरोनियल जांच के प्रारंभिक चरण में आपसे संपर्क कर सकते हैं।

परिवार के साथ हमारा संपर्क

कोरोनर्स अधिनियम में 'पारिवारिक सदस्य' पद का एक विशिष्ट अर्थ है।

हालांकि कोरोनर जांच प्रक्रिया के दौरान एक से अधिक पारिवारिक सदस्यों को संपर्क के रूप में नामित करने की अनुमति दे सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि परिवार किसी एक व्यक्ति को प्राथमिक संपर्क के रूप में नामित करे, जो अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ अद्यतन जानकारी साझा करे।

परिवार अपनी ओर से कार्य करने के लिए एक वकील नियुक्त कर सकता है और/या जांच के दौरान हमारा प्राथमिक संपर्क बन सकता है।

यदि कोई पारिवारिक विवाद उत्पन्न होता है, तो परिवार के सदस्यों के लिए कोरोनर्स अधिनियम में वरिष्ठता का एक निर्दिष्ट क्रम निर्धारित किया गया है।

कोरोनर द्वारा किसी व्यक्ति को परिवार के सदस्य के रूप में मान्यता देने का अर्थ किसी अन्य उद्देश्य, जैसे कि संपत्ति संबंधी मामले, के लिए औपचारिक कानूनी मान्यता नहीं है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम आपको प्रगति के बारे में अद्यतन जानकारी दे सकें, यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने संपर्क विवरण में किसी भी परिवर्तन के बारे में हमें सूचित करते रहें।

प्रथम राष्ट्र परिवार

हम सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और उचित प्रथाओं को बढ़ावा देने और उनमें संलग्न होने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जांच के आरंभ में ही परिवारों को किसी भी सांस्कृतिक या रिश्तेदारी संबंधी विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी आवश्यकताओं पर विचार किया जा सके।

हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि परिवारों को सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से जानकारी प्रदान की जाए।

सूचना जारी करना

कोरोनर यह निर्णय लेता है कि कोरोनियल जानकारी जारी की जाए या नहीं और किसे दी जाए।

अप्रकाशित कोरोनियल दस्तावेजों के लिए अनुरोध CCQ को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए (पहचान प्रमाण की आवश्यकता हो सकती है)।

और अधिक जानकारी www.coronerscourt.qld.gov.au/resources/accessing-coronial-documents पर पाई जा सकती है।

क्या मैं अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर सकता/ती हूँ?

जांच चलने तक परिवार अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर सकते है।

आपके द्वारा चुना गया अंतिम संस्कार निदेशक अंतिम संस्कार प्रक्रिया के बारे में हमारे और शवगृह के साथ मिलकर काम करेगा। जब प्रारंभिक जांच पूरी हो जाएगी और कोरोनर ने मृत्यु का कारण स्वीकार कर लिया होगा, तो मृत व्यक्ति को अंतिम संस्कार निदेशक को सौंप दिया जाएगा।

अंत्येष्टि सहायता योजना

हमारी अंत्येष्टि सहायता योजना के माध्यम से, हम उन व्यक्तियों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर सकते हैं जिनकी मृत्यु क्वींसलैंड में हुई है और जिनका कोई भी ज्ञात पारिवारिक सदस्य अंतिम संस्कार की लागत वहन करने के लिए इच्छुक या सक्षम नहीं है।

इस योजना के लिए पात्रता की कुछ शर्तें हैं। कुछ मामलों में, योजना के तहत प्रदान की गई अंतिम संस्कार सेवाओं की लागत मृतक व्यक्ति की संपत्ति में मौजूद धन से वसूल की जा सकती है।

और अधिक जानकारी हमारी वेबसाइट www.coronerscourt.qld.gov.au/for-families/funeral-assistance-scheme पर पाई जा सकती है।

आवेदन में सहायता के लिए अपने स्थानीय मजिस्ट्रेट न्यायालय से संपर्क करें। https://www.courts.qld.gov.au/contacts

मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना

जब कोरोनर मृत्यु का चिकित्सीय कारण स्वीकार कर लेता है, तो जन्म, मृत्यु एवं विवाह रजिस्ट्री (आरबीडीएम) को सूचित किया जाता है।

आप निम्न तरीकों से मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति प्राप्त कर सकते/ती हैं:

- RBDM से सीधे संपर्क करें www.qld.gov.au/rbdm

- अपने अंतिम संस्कार निदेशक के माध्यम से इसकी व्यवस्था करें।

यदि आपको अंतरिम मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, जबकि मृत्यु का कारण अज्ञात था, तो आप इसे आरबीडीएम को वापस कर सकते/ती हैं और निःशुल्क अद्यतन संस्करण प्राप्त कर सकते/ती हैं।

क्या कोई कोरोनियल जांच होगी?

अधिकांश मामलों में, कोरोनर के लिखित निष्कर्ष निर्गत किए जाने पर रिपोर्ट करने योग्य मृत्यु के प्रकरणों की जांच को बिना किसी परीक्षण के ही अंतिम रूप दे दिया जाता है। यह मृत्यु के बारे में एक औपचारिक दस्तावेज़ होता है। यदि प्रकाशन करना जनहित में हो, तो ये निष्कर्ष न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जा सकते हैं।

यदि कोरोनर गैर-जांच निष्कर्षों को प्रकाशित करना चाहता है, तो परिवार के साथ परामर्श किया जाएगा। निष्कर्षों को प्रकाशित करने पर विचार करते समय कोरोनर मृतक का नाम हटा सकता है।

कुछ परिस्थितियों में, कोरोनर यह निर्णय ले सकता है कि जांच की जाना आवश्यक है। जांच एक अदालती सुनवाई होती है। यह एक मुकदमा नहीं होती है और इसमें:

- ज्यूरी को शामिल नहीं किया जाता है
- यह दोष या नागरिक दायित्व निर्धारित नहीं करती है।

कोरोनर जांच तब करेगा, यदि:

- कानून के तहत जांच अनिवार्य हो
- यह निर्धारित किया जाता है कि जांच जनहित में है, जोकि तब हो सकता है जब:
  - मृत्यु के कारण और परिस्थितियों के बारे में गंभीर संदेह हो
  - मृत्यु से संबंधित सलाह भविष्य में होने वाले मृत्यु के प्रकरणों को रोकने में मदद कर सकती है
  - मृत्यु से संबंधित सलाह जनस्वास्थ्य और सुरक्षा या न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उजागर करती है।

आम तौर पर जांच जनता के लिए खुली होती है और कोई भी इच्छुक व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है, तथा सभी विवरण हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाते हैं।

जांच पूरी हो जाने के बाद:

- कोरोनर के निष्कर्ष हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाते हैं
- किसी भी सलाह को लागू किए जाने के बारे में विचार करने के लिए इसे संबंधित संस्था के पास भेजा जाता है।

यदि परिवार का कोई सदस्य कोरोनर के जांच न करने के निर्णय से असहमत है, तो उसके पास एक आवेदन भरकर अनुरोध करने का अधिकार है, जिसमें यह बताया जाए कि जांच करना जनहित में क्यों है।

यदि कोरोनर अनुरोध को अस्वीकार कर देता है, तो राजकीय कोरोनर को जांच का आदेश दिए जाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। यदि राजकीय कोरोनर जांच करने से इनकार कर देता है, तो जांच कराने के लिए जिला न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है।

कानूनी सहायता

जब किसी मृत्यु की जांच CCQ द्वारा की जा रही हो, तो परिवारों को कानूनी रूप से प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता नहीं होती है।

यदि आप कानूनी सलाह प्राप्त करना चाहते/ती हैं, तो निम्नलिखित सेवाओं से संपर्क किया जा सकता है:

लीगल एड क्वींसलैंड

कानूनी सलाह के बारे में जानकारी और रेफरल के लिए, तथा इस बारे में सलाह के लिए कि क्या आप निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

फोन: 1300 65 11 88
वेबसाइट: www.legalaid.qld.gov.au

क्वींसलैंड लॉ सोसायटी

आपके क्षेत्र में मौजूद जांच एवं कोरोनियल कानून में विशेषज्ञता-प्राप्त कानूनी फर्मों के नामों के लिए।

फोन: 1300 367 757
वेबसाइट:www.qls.com.au

क्वींसलैंड कोरोनियल लीगल सर्विस

शोकाकुल परिवार के सदस्यों को कोरोनियल प्रक्रिया और इससे संबंधित मुद्दों के किसी भी पहलू के बारे में निःशुल्क कानूनी सलाह प्रदान करता है।

फोन: (07) 3214 6333
वेबसाइट: https://caxton.org.au/how-we-can-help/queensland-coronial-legal-service/

सामुदायिक कानूनी केंद्र क्वींसलैंड

अपना निकटतम सामुदायिक कानूनी केंद्र खोजें

फोन: (07) 3392 0092
वेबसाइट:www.communitylegalqld.org.au/

आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी कानूनी सेवा

क्वींसलैंड में आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों के प्रति सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील कानूनी सेवाएं।

फोन: 1800 012 255 (नि:शुल्क कॉल)
ईमेल:coronial@atsils.org.au.
वेबसाइट: https://atsils.org.au/

संपर्क और सहायता सेवाएँ

क्वींसलैंड का कोरोनर्स कोर्ट

जीपीओ बॉक्स 1649 ब्रिसबेन क्यूएलडी 4001
फोन: (07) 3738 7050 (*ब्रिस्बेन में मुख्य रजिस्ट्री*)
ब्रिस्बेन के बाहर: 1300 304 605 (स्थानीय कॉल का शुल्क)
ईमेल: CoronersCourt@justice.qld.gov.au
वेबसाइट: www.coronerscourt.qld.gov.au

क्वींसलैंड पुलिस कोरोनियल सपोर्ट यूनिट (सीएसयू)

हमारी अधिकांश रजिस्ट्रियों के साथ में ही मौजूद सीएसयू कोरोनियल प्रक्रियाओं का समन्वय करती है तथा फोरेंसिक रोगविज्ञानियों व शवगृह कर्मियों के साथ संपर्क बनाए रखती है।
फोन: (07) 3292 5901
ईमेल: QPSOfficeStateCoroner@police.qld.gov.au

फोरेंसिक पैथोलॉजी और कोरोनियल सेवाएं

फोन: 1800 000 377 (नि:शुल्क कॉल)
ईमेल: Forensics@health.qld.gov.au

कोरोनियल फैमिली सर्विसेज़

फोन: (07) 3096 2794
1800 449 171 (नि:शुल्क कॉल)
ईमेल: FSS.Counsellors@health.qld.gov.au

जन्म मृत्यु और विवाह की रजिस्ट्री

पीओ बॉक्स 15188 सिटी ईस्ट क्यूएलडी 4002
फोन: 13 74 68
ईमेल: bdm-mail@justice.qld.gov.au
वेबसाइट: www.qld.gov.au/rbdm

पीड़ित सहायता क्वींसलैंड

अपराध पीड़ितों के लिए सूचना, सलाह, समर्थन सेवाएं और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
फोन: 1300 546 587
वेबसाइट:https://www.qld.gov.au/law/crime-and-police/victim-assist-queensland

स्वास्थ्य लोकपाल कार्यालय

क्वींसलैंड स्वास्थ्य सेवाओं और/या प्रदाताओं के बारे में शिकायतें/चिंताएं लेने वाली एजेंसी।
फोन: 133 646
वेबसाइट:www.oho.qld.gov.au

कार्य-संबंधी मृत्यु व गंभीर घटनाओं के लिए परामर्शदात्री समिति

चोटिल कर्मियों और कार्यस्थल पर हुई मृत्यु से प्रभावित परिवारों को सूचना और सहायता प्रदान करना।
फोन: 0417 910 130
ईमेल: OHSConsultativeCommittee@oir.qld.gov.au
वेबसाइट:www.worksafe.qld.gov.au/about-us/consultative-committee

क्वींसलैंड होमिसाइड विक्टिम सपोर्ट ग्रुप

हत्या से प्रभावित लोगों को 24 घंटे/7 दिन सहायता, वकालत और जानकारी प्रदान करना।
फोन: 1800 774 744
वेबसाइट:www.qhvsg.org.au/

सदय मित्र क्वींसलैंड

बच्चे की मृत्यु के बाद परिवारों को मित्रता और शोक शिक्षण प्रदान करना।
फोन: 1300 064 068
इमेल:admin@tcfqld.org.au
वेबसाइट: https://tcfa.org.au/qld/

आत्महत्या शोक सहायता संघ (एसओएसबीएसए)

आत्महत्या से पीड़ित लोगों और आत्महत्या के जोखिम वाले लोगों को सहायता प्रदान करना।
फोन: 1300 659 467
वेबसाइट:www.sosbsa.org.au

स्टैंडबाय - आत्महत्या के बाद सहायता

आत्महत्या से पीड़ित या प्रभावित लोगों को सहायता देना।
फोन: 1300 727 247
बधिर और कम सुनने वाले लोगों के लिए: एसएमएस 0428 842 041 (सुबह 6बजे-रात 10बजे, 7 दिन)
वेबसाइट: www.standbysupport.com.au

आत्महत्या कॉल बैक सेवा

आत्महत्या से प्रभावित लोगों को 24 घंटे/7 दिन नि:शुल्क फोन और ऑनलाइन परामर्श प्रदान करना।

फोन: 1300 659 467
वेबसाइट: www.suicidecallbackservice.org.au/

रोसेज़ इन दि ओशियन (समुद्र में गुलाब)

पीयर केयर कम्पैनियन वॉर्मलाइन प्रदान करना - एक कॉल बैक सेवा, जहां आप आत्महत्या के कारण शोकग्रस्त हुए प्रशिक्षित स्वयंसेवक से बात कर सकते/ती हैं।
फोन: कॉलबैक सेवा 1800 77 7337
वेबसाइट: https://rosesintheocean.com.au/

लाइफलाइन ऑस्ट्रेलिया

निःशुल्क 24 घंटे / 7 दिन, फोन से संकट सहायता प्रदान करना।
फोन: 13 11 14
वेबसाइट: www.lifeline.org.au/

किड्स हेल्पलाइन

5 से 25 वर्ष की आयु के युवाओं को निःशुल्क व गोपनीय 24 घंटे/7 दिन ऑनलाइन एवं फोन परामर्श प्रदान करना।
फोन: 1800 55 1800
वेबसाइट: www.kidshelpline.com.au/

मेन्सलाइन

ऑस्ट्रेलियाई पुरुषों के लिए निःशुल्क टेलीफोन और ऑनलाइन परामर्श व सहायता प्रदान करना।
फोन: 1300 78 99 78
वेबसाइट:www.mensline.org.au/

प्रथम राष्ट्र परिवार सहायता सेवाएँ

13 यार्न

परेशानी या जीवन में सामना करने में कठिनाई महसूस कर रहे लोगों के लिए निःशुल्क 24 घंटे / 7 दिन, सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित सहायता लाइन उपलब्ध कराना।
फोन: 13 92 76
वेबसाइट: www.13yarn.org.au/

आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी परिवार कल्याण सेवाएँ

आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी परिवारों को सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक व आध्यात्मिक कल्याण में सुधार लाने, तथा परिवारों को अपने बच्चों की सुरक्षापूर्वक देखभाल एवं उनका संरक्षण करने में निःशुल्क व गोपनीय सहायता देना।

फोन: 1300 117 095
वेबसाइट:www.familywellbeingqld.org.au/

थिर्रिली

थिर्रिली स्वदेशी पोस्टवेंशन रिस्पांस सर्विस आत्महत्या के बाद आघात का अनुभव करने वाले समुदायों, परिवारों और व्यक्तियों को सहायता प्रदान करती है। उनकी सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित सहायता प्रणाली स्थानीय सांस्कृतिक प्रोटोकॉल और प्रथाओं का सम्मान करती है, तथा शोक और उपचार में आत्मनिर्णय को बढ़ावा देती है। थिर्रिली सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे आत्महत्या सहायता फोन सेवा संचालित करती है।

फोन: 1800 805 801
वेबसाइट: https://thirrili.com.au/

मोब लिंक

इन-टेक अधिकारियों, नर्सों, डॉक्टरों, स्वदेशी आउटरीच कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक शानदार टीम द्वारा संचालित किया जाने वाला मोब लिंक दक्षिण-पूर्व क्वींसलैंड में आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों को स्वास्थ्य व सामाजिक सेवाओं से जुड़ने के लिए उसी-दिन से देखभाल या सहायता प्राप्त करने में सहायता देता है।

फोन: 1800 254 354 सुबह 7बजे - शाम 8बजे, 365 दिन
वेबसाइट: https://www.iuih.org.au/our-services/mob-link/